भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2218

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 05 अगस्त, 2024, 14 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

सार्वजनिक बीमा क्षेत्र में मुद्दे

2218. श्री राजमोहन उन्नीथनः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा चिकित्सा और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी हटाने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या नई कर व्यवस्था ने धारा 80सी के अंतर्गत आयकर राहत के प्रयोजनों के लिए जीवन बीमा को बचत से हटा दिया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा 2023-24 में शुरू की गई नई कर व्यवस्था में जीवन बीमा प्रीमियम के लिए एक पृथक और पर्याप्त छूट सीमा को फिर से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं,

(ग) क्या धारा 80डी के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए कटौती बंद कर दी गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) क्या सरकार ने एक मानक स्तर की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने और अकुशलताओं को कम करने के लिए राष्ट्रीय बीमा, नयू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की बीम कंपनियों को विलय और समेकित करने पर विचार किया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): जीएसटी दरें और छूट जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं, जो एक संवैधानिक निकाय है जिसमें केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों दोनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस संबंध में परिषद से ऐसी कोई सिफारिस नहीं की गई है।

(ख) से (ग): वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा व्यक्तिगत और एचयूएफ करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था शुरू की गई थी। आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 115 बीएसी के तहत, आकलन वर्ष 2021-22 से, व्यक्तिगत और एचयूएफ के पास कुछ शर्तों के अधीन निचली स्लैब दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प था, जिसमें यह भी शामिल है कि वे निर्दिष्ट कर छूट या कटौती जैसे धारा 80सी के तहत कटौती या धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए कटौती का लाभ नहीं उठाते हैं। करदाताओं के लिए अधिनियम की धारा 80सी और धारा 80डी के तहत कटौती, पुरानी कर व्यवस्था में उपलब्ध है।

2. यह सरकार की घोषित नीति के अनुरूप है, जिसके तहत छूट और प्रोत्साहनों को हटाकर अधिनियम को सरल बनाया जाएगा तथा साथ ही करों की दरों को भी कम किया जाएगा।

3. वित्त अधिनियम, 2023 ने नई कर व्यवस्था के तहत दरों को और कम कर दिया, इसे कुछ अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को भी छूट दी गई और इसे ऐसे व्यक्तियों के लिए डिफ़ॉल्ट व्यवस्था बना दिया। वित्त (सं. 2) विधेयक, 2024 में अब कर निर्धारण वर्ष 2025-26 से नई कर व्यवस्था के स्लैब के पुनःसंरचना का प्रस्ताव दिया है।

4. अभी तक नई कर व्यवस्था के प्रावधानों में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ): तीन सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों**,** ओरिएंटल इंश्योरेंस**,** नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में वर्ष **2019-20** से वर्ष **2021-22** के दौरान **17,450** करोड़ रुपये की पूंजी निवेश की गई**,** ताकि पूंजी निवेश के पश्चात उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के विलय के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
